तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 81/2024 मिथलेश कुमारी वगै. बनाम रामकरोली वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/9/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते पुनः बहस दिनांक 7/10/24 को पेश हो। Sd/-	
7/10/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 16/10/24 को पेश हो। Sd/-	
16/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/11/24 को पेश हो। Sd/-	
5/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० अधि० वादी की बहस समाप्त सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 11/11/24 को पेश हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रुल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास श्री राहुल श्रीवास्तव (I.A.S.)

मिथलेश वनाम रामभरोसी वगैरा

दावा वावत् 88, 89 व 188 RTA

मुकदमा नं. 81/2024 (81/2012 पुराना ACM) सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–व–रू हमारे

व हाजरी श्री चर्मेन्द्र चौधरी एडवो० मिनजानिव

मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादनीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 डिक्री किया जाता है वादनीगण को वाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन की विवादित आराजी खसरा नम्बर 528/1.87 है० के 49/99 भाग, खसरा नम्बर 4/0.19 है०, 682/0.12 है० के 2/3 भाग एवं खसरा नम्बर 349/0.01 है०, 350/1.37 है० के 1/3 भाग का वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आज .... मुवलिग .... वावत् .... फीसदी सालाना आज

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... का अदा करें।

की तारीख से तारीख बसूलयावी तक ....

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 वर्ष 2024 को जारी की गई।

दस्तखत Rahul Srivastava 11/11/24

ओहदा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 81/2024

3. मिथलेश कुमारी पुत्री राम भरोसी जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन हाल पत्नी दर्शन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भैंसा तहसील उच्चैन।
4. कमलेश पुत्री राम भरोसी जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन नाबालिग जरिये सरपरस्त प्राकृतिक वली बहिन मिथलेश कुमारी पत्नी दर्शन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भैंसा तहसील उच्चैन।

...................वादनीगण

बनाम

11. रामभरोसी पुत्र उन्ना उर्फ पुन्ना जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन।

.......असल प्रतिवादी

12. प्रधुमन
13. रोहिताश
14. रोहित पुत्रान स्व0 रमेश जाति ब्राह्मण
15. सुरेश
16. जगदीश पुत्रान श्रीया जाति ब्राह्मण निवासी विनउआ तहसील रूपवास ।
17. राजकुमारी पुत्री रमेश पत्नी भोला जाति ब्राह्मण निवासी मलाह तहसील भरतपुर।
18. रेशम देवी पत्नी ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन।
19. ललतेश पुत्र शिवचरन जाति जाट निवासी बरसो तहसील रूपवास।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन।

.......तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Rahul Srivastava
उपखण्ड अधिकारी 11/4/24
उच्चैन (भरतपुर)

1/3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 81 / 2024

1. मिथलेश कुमारी पुत्री राम भरोसी जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन हाल पत्नी दर्शन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भैंसा तहसील उच्चैन।
2. कमलेश पुत्री राम भरोसी जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन नावालिग जरिये सरपरस्त प्राकृतिक वली बहिन मिथलेश कुमारी पत्नी दर्शन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भैंसा तहसील उच्चैन।

....................वादनीगण

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र उन्ना उर्फ पुन्ना जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन।

.......असल प्रतिवादी

2. प्रधुमन
3. रोहिताश
4. रोहित पुत्रान स्व0 रमेश जाति ब्राह्मण
5. सुरेश
6. जगदीश पुत्रान श्रीया जाति ब्राह्मण निवासी विनउआ तहसील रूपवास ।
7. राजकुमारी पुत्री रमेश पत्नी भोला जाति ब्राह्मण निवासी मलाह तहसील भरतपुर।
8. रेशम देवी पत्नी ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन।
9. ललतेश पुत्र शिवचरन जाति जाट निवासी बरसो तहसील रूपवास।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन।

.......तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांकः–11.11.2024

निर्णय

वादनीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 02 / 1.04, 256 / 9.19, 261 / 11.11, 353 / 0.15, 599 / 209 / 2.00, 165 / 8.10 कुल किता 6 कुल रकवा 33 बीघा 19 विस्बा बाके ग्राम

Rahul Srivastava
11/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

सेकरौदा तहसील उच्चैन में स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादनीगण के बाबा मृतक उन्ना उर्फ पुन्ना की छोडी हुई आराजी है जिसमें वादनीगण को वाई वर्थ अधिकार उत्पन्न हुये है। राजस्व रिकार्ड में हल्का पटवारी वगै0 की भूल से वादनीगण के वैक पर वादग्रस्त आराजी का असल प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड में न्यारानूर अपने नाम दर्ज करा लिया है तथा वर्तमान में वाद ग्रस्त विवादित आराजी न्यारानूर असल प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है जो खिलाफ मौका एवं कानून है। वादनीगण की मां की मृत्यू हो चूकी है तथा पिता व्यभिचारी प्रवृति का व्यक्ति है जो एक व्यभिचारित्र स्त्री के जाल में फसा हुआ है जो अपने पति को छोडकर बिना किसी तलाक बगै0 के वादनीगण के पिता के साथ रहती है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन जायदाद पर निगाह जमाये हुये है एवं असल प्रतिवादी जो कि मानसिक रूप से कमजोर है को अपनी बातों में लेकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने की आड में उक्त आराजी का बेचान करना चाहती है। उक्त व्याभिचारी स्त्री के वहकावे में आकर असल प्रतिवादी लगभग 7 बीघा जमीन का बेचान कर चुका है। जब दिनांक 15.05.2012 को हम वादनीगण अपनी आराजी पर अपने हिस्से को जोतने पहुंचे तो असल प्रतिवादी मौके पर आ गया और विवादित आराजी को बेचान करने एवं बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण वादनीगण ने यह बाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जवाव पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित समस्त विवादित आराजी का में प्रतिवादी संख्या 1 ही एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हूं व मौके पर आज भी समस्त आराजी पर काश्त कर रहा हूं वादनीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैने वादनी संख्या 1 की शादी कर दी है और वह अपनी ससुराल में रह रही है व वादनी संख्या 2 अभी नाबालिग है व दावा पेश करने से पूर्व मेरे पास ही रहती थी अ बवह वादनी संख्या 1 के बहकावे में आ गई है। जब वादनी गांव सिकरौदा में रहती ही नही तो विवादित आराजी पर कब्जा होने एवं किसी भी प्रकार की काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादनीगण का कब्जा कभी भी उक्त आराजी पर नहीं रहा है और ना ही आज मौके पर कब्जा है। अतः वादनीगण को उक्त वादपत्र को पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 25.07.2016 को कोर्ट कैम्प रूदावल में वादिनी एवं प्रतिवादी ने सहमति के आधार पर खसरा नम्बर 256/9-12 को वादपत्र से विड्रो कर लिया था। वादनीगण की ओर से मिथलेश कुमारी एवं दर्शन शर्मा ने शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वादनीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक वादिनीगण ने अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि उक्त आराजी वादनीगण के दादा उन्ना की छोडी हुई आराजी है जोकि विरासतन वादनीगण के पिता को प्राप्त हुई है। उक्त आराजी पैत्रृत है जिसमें वादनीगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। वादनीगण प्रतिवादी संख्या 1 की सगी बेटियां है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी में से लगभग 6 बीघा जमीन पूर्व में बेच चुका है और आगे भी जमीन का बेचान

Rahul Gupta
11/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

करना चाहता है। अतः वादपत्र को डिक्री किया जाकर वादनीगण को हिस्सा मुताबिक विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक वादनीगण की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र एवं वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2044–2047, 2068–2071 एवं जमाबंदी सम्वत् 20–2071 का अवलोकन किया गया। वादनीगण की ओर से मिथलेश कुमारी एवं दर्शन शर्मा द्वारा पेश शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी वादनीगण के बाबा उन्ना की छोडी हुई आराजी है जो कि विरासतन उन्ना के पुत्र रामभरोसी को प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धार 6 के अनुसार वादिनीगण को उक्त विवादित सम्पत्ती में जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। वादपत्र वादनीगण स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादनीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाता है। वादनीगण को बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन की विवादित आराजी खसरा नम्बर 528/1.87है0 के 49/99 भाग एवं खसरा नम्बर 4/0.19है0, 682/0.12है0 के 2/3 भाग एवं खसरा नम्बर 349/0.01है0, 350/1.37है0 के 1/3 भाग का बाहिस्सा बराबर खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि वादनीगण के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हिस्सा मुताबिक किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 11/11/24.
राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)